संख्या-2/2018/285/30-2-2018-2(19)/2007 टी0सी0

प्रेषक,

आराधना शुक्ला,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम,
लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 12 अप्रैल,2018**

विषय: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कार्मिकों को 01.07.2016 से 132 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी-02एफ0ए0/18-499एफ0ए0/74/2015 दिनांक 12.01.2018 के अनुक्रम में अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग की अध्यक्षता में गठित अधिकृत समिति (इम्पावर्ड कमेटी) की बैठक दिनांक 06.04.2018 के कार्यवृत्त, जिसकी प्रति सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के पृष्ठांकन संख्या-398/44-1-2018-61/2010, दिनांक 10.04.2018 द्वारा आपको भी प्रेषित है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित अधिकृत समिति (इम्पावर्ड कमेटी) की बैठक दिनांक 06.04.2018 में निम्नवत् निर्णय लिये गये है :-

(1) उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के नियमित कार्मिकों को छठे वेतनमान में मूल वेतन का 132 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता दिनांक 01 जुलाई,2016 से दिये जाने का निर्णय लिया गया।

(2) भविष्य में मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुयी किश्तों के भुगतान की अनुमति के लिए निगम पुन: प्रकरण अधिकृत समिति (इम्पावर्ड कमेटी) के समक्ष रखेगा।

अत: अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त निर्णयानुसार प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। इस संबंध में आने वाला वित्तीय व्यय-भार उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा स्वयं अपने संसाधनों से वहन किया जायेगा। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता देय न होगी।

भवदीया,
ह०
(आराधना शुक्ला)
प्रमुख सचिव।

संख्या-2/2018/285(1)/30-2-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन को उनके पृष्ठांकन संख्या-398/44-1-2018-61 /2010, दिनांक 10.04.2018 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
ह०
(मुहम्मद अखलाक खॉ)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.nic.up